

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशालय, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, स्कीम, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./ covid-19 / 2020 / 57

दिनांक 11-4-2020

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।


विषय- COVID-19 एपिडेमिक के परिपेक्ष में लॉकडाउन की स्थिति में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट से संबंधित वाहन व स्टाफ को लॉकडाउन से मुक्त रखने बाबत।

संदर्भ:- केन्द्रीय पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक B 1011/BMW (94)/2020/WMD-1 दिनांक 25.03.2020 एवं राजस्थान पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, राजस्थान के पत्र क्रमांक F.16(Gen-59)RPCB/BMW/223-825 दिनांक 03.04.2020 के क्रम में।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सेवायें संक्रमण रोकने हेतु मेडिकल से संबंधित अति आवश्यक सेवाये है।

अतः बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित सेवाये यथा बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण, पृथकीकरण परिवहन व निस्तारण सम्बन्धित कार्यों को मेडिकल के समान ही अति आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत लॉकडाउन व कर्फ्यू से मुक्त रखा जावे जिससे कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्बाध गति से हो सके।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार


(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव
व मिशन निदेशक
एन.एच.एम

क्रमांक: चि.प्र./ covid-19 / 2020 / 57
प्रतिलिपि:-

दिनांक 11-4-2020

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति० निदेशक (चि.प्र.), मुख्यालय।
6. सर्वर रूम, मुख्यालय
7. कार्यालय प्रति


अति० निदेशक (चि०प्र०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर